

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
 (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प श्रीमैल

आदेश:-

2025/341

26-06-2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीमैल व गृ.अ.नि. श्रीमैल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आचार पर राजस्थान गृ-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुराण में ग्राम श्रीमैल तहसील बाली व जिला पाली को जमावन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 47 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अगल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	श्रीमैल	47	लक्ष्मण	लक्ष्मण उर्फ लच्छाराम



()
 पीठारीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, बाली

दिनांक :- 26/06/2025

कमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अगल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट होजवाये।
2. प्रार्थी श्री लच्छाराम उर्फ लक्ष्मण को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली।

26/6/25
 पीठारीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी
 बाली